





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

शमैरु बनाम चंडी देवी
 किस्म मुकदमा दावा (53, 00) मु.नं. 100 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
16 ⁰⁶ / 2025	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 29.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर </p>
23/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी रिक्त 31/7/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
03/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/7/25 को पेश हो।</p>
29 ⁰⁷ / 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी रिक्त 26⁰⁸/ 25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
26 ⁰⁸ / 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित। वकील वादी व वादी स्वयं का वाड-वाड आवाज लगावाई गई। उक्त के बावजूद-आयालय समय में शामंगल तक भी वकील वादी व वादी स्वयं में त नहीं भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी तरह पर धरम पैडगी। यह मामला जजिरी में खारिज किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फंसल शुमाड होकर बाह तबमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 धोद जिला-सीकर

